बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 90 / 2016– /पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार

वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

विषय– बिहार रिमोट सेसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, पटना के उपयोग हेतु क्रय किये गए चार (4) ड्रोन (DRONE) के संचालन हेतु पायलट एवं ऑपरेटर के प्रशिक्षण एवं मानदेय के भुगतानार्थ कुल रू॰ 59,60,000=00 (उनसठ लाख साठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त राशि परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने बिहार रिमोट सेसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, पटना द्वारा समर्पित परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर क्रय किये गए चार (4) ड्रोन (DRONE) के संचालन हेतु रखे गए पायलट एवं ऑपरेटर के प्रशिक्षण एवं मानदेय के भुगतानार्थ कुल रू॰ 59,60,000=00 (उनसठ लाख साठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त राशि परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2016–17 के आयोजना (योजना) बजट के ''मुख्यशीर्ष– 2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष– 00, लघुशीर्ष– 004–अनुसंधान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0101– बिहार काउन्सिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पटना, रिमोट सेसिंग केन्द्र/इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर प्लेनेटोरियम, पटना'' के अधीन 28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड– पी 2203000040101 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की अग्रिम निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा बैक ड्राफ्ट के माध्यम से परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. विमुक्ति हेतु उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगी।

6. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

7. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –

(मिर्जा आरिफ रजा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 90/ 2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 90/ 2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 90/ 2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 90/ 2016– 778 /पटना, दिनांक– 29.3.017

प्रतिलिपिः– उप निदेशक (यो॰)/अवर सचिव/विपत्र शाखा (दो प्रतियों में)/बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/03/17

सरकार के उप सचिव

29/3/17